

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
(दूरभाष:-0141-2740837 फ़ैक्स नम्बर:- 0141-2742309)

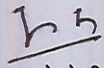
क्रमांक:एफ.4(ई)पी-1661/2013/लिंक.नं.12111/अलेसे-III/2551

दिनांक:- 18/1/19

कार्यालय आदेश

सुश्री/श्रीमती प्रीति राजोरिया, कनिष्ठ लेखाकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान के पत्र क्रमांक 6314 दिनांक 17.12.2018 के आवेदन अनुसार माह जनवरी 2019 में दिनांक 30.01.2019 से 06.02.2019 तक (कुल 08 दिवस) विवाह उपरान्त भ्रमण हेतु बाली, इण्डोनेशिया जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगी।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में उठरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/फ़ैक्स न. आदि सूचित करेगी।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय/विदेश सेवा गृहण नहीं करेगी।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं करेगी।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगी।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा/के माध्यम से कोई व्यय/विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगी।
10. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक:एफ.4(ई)पी-1661/2013/लिंक.नं.12111/अलेसे-III/2551

दिनांक:- 18/1/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान के पत्र क्रमांक 6314 दिनांक 17.12.2018 क्रम में।
2. सुश्री/श्रीमती प्रीति राजोरिया, कनिष्ठ लेखाकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर राजस्थान।
3. उपनिदेशक, (एसीपी) कम्प्यूटर में अपलोड करवाने हेतु।
4. अतिरिक्त निजी सचिव निदेशक महोदय।


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)